कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी,जिला – सारंगढ़ – बिलाईगढ़ (छ.ग.)

Email ID: deosarangarhbilaigarh2022@gmail.com

:: नियुक्ति आदेश ::

क्रमांक/ **409** /SAGES/ संविदा नियुक्ति /2023-24

सारंगढ़, दिनांक - **26 सितम्बर 2023**

छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर के आदेश क्रमांक एफ 23-08/2020/20–03/35 अटल नगर नवा रायपुर दिनांक 03.07.2020 एवं पत्र क्रमांक एफ 23-08/2020/20–03 नवा रायपुर दिनांक 30-09-2020 के अनुसार स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सोसायटी, जिला – सारंगढ़ – बिलाईगढ़ (छ. ग.) के अनुमोदन पश्चात् उक्त कर्मचारी को उसके नाम के सम्मुख लिखे विद्यालय में नीचे लिखे शर्तों के साथ संविदा नियुक्ति प्रदान की जाती है –

क्र.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पदनाम	पदांकित सेजेस का नाम	वेतन प्रतिमाह रूपये में (एकमुश्त)
1	2	3	4	5	6
01	FANESHWAR JAISWAL	MAKHAN LAL JAISWAL	ASST. TEACHER (HINDI)	PARSAPALI	25300 (पच्चीस हजार तीन सौ)

नियुक्ति की शर्तें :-

1. यह नियुक्ति छ.ग. सिविल सेवा भर्ती (संविदा भर्ती) नियम 2012 के अधीन होगी |
2. नियुक्त अभ्यर्थी को दिनांक 05.10.2023 तक पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माना जायेगा |
3. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है | संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष के द्वारा एक माह के पूर्व सूचना या उसके एवज में तीन माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी |
4. यह नियुक्ति कर्मचारी के नियुक्ति तिथि से तीन वर्ष तक के लिए मान्य होगी | सेवा संतोषप्रद पाए जाने पर ही सेवा वृद्धि पर विचार किया जावेगा |
5. अभ्यर्थी द्वारा दी गयी जानकारी एवं दस्तावेज गलत पाए जाने पर किसी भी समय बिना सूचना के नियुक्ति आदेश निरस्त किया जा सकता है |
6. अभ्यर्थी द्वारा उनके समस्त दस्तावेजों की एक प्रति सम्बंधित संस्था में कार्यभार ग्रहण के पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा | संस्था के प्राचार्य द्वारा मूल दस्तावेजों के परीक्षण पश्चात् ही कार्यभार ग्रहण कराया जावेगा |
7. संविदा अवधि में छ.ग. सिविल सेवा भर्ती (संविदा भर्ती) नियम 2012 के तहत अवकाश की पात्रता होगी |
8. संविदा पर नियुक्त अभ्यर्थी छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगे |
9. सेवा समाप्ति पश्चात संविदा अधिकारी / कर्मचारी के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार की पेंशन, उपादान या मृत्यु लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी |
10. संविदा से नियुक्त अभ्यर्थी को अपने परिवार की सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रतिमाह संविदा राशि का कम से कम 12% राशि जीवन बीमा पेंशन योजना अथवा पीपीएफ में जमा करनी होगी तथा इस बात की सूचना नियुक्ति प्राधिकारी आहरण संवितरण अधिकारी को देनी होगी |
11. संविदा नियुक्त अभ्यर्थी को एकमुश्त मानदेय देय होंगे अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे |
12. भविष्य में शासन द्वारा उक्त पद पर भर्ती की जाती है तो यह नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी |

Scanned with CamScanner

13. मानदेय का निर्धारण एवं सेवा संबंधी अन्य शर्तें राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों के तहत की जाएगी।
14. उम्मीदवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
15. पुलिस अधीक्षक से प्राप्त अनुप्रमाणन (चरित्र सत्यापन) प्रमाण पत्र में यदि अपराधिक गतिविधियां पायी जाती है तो सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी।

(स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय समिति, जिला – सारंगढ़ - बिलाईगढ़ द्वारा अनुमोदित)

(डेजी रानी जांगडे)
जिला शिक्षा अधिकारी एवं सदस्य सचिव, स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय समिति परसापाली, जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़(छ.ग.)

पृष्ठ क्र / **410** /SAGES/ संविदा नियुक्ति /2023-24

सारंगढ़, दिनांक - **26 सितम्बर 2023**

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ।
2. संचालक महोदय , लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ।
3. कलेक्टर महोदया, जिला – सारंगढ़ – बिलाईगढ़ (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
4. संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बिलासपुर को सादर सूचनार्थ ।
5. सर्व सदस्य, स्वामी आत्मानंद विद्यालय समिति, जिला – सारंगढ़ बिलाईगढ़ को सादर सूचनार्थ।
6. विकासखंड शिक्षा अधिकारी बिलाईगढ़, जिला – सारंगढ़ – बिलाईगढ़ (छ.ग.) को सूचनार्थ।
7. प्राचार्य स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय परसापाली, जिला – सारंगढ़ – बिलाईगढ़ (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. संबंधित..FANESHWAR JAISWAL..पिता/पति..MAKHAN LAL JAISWAL..को सूचनार्थ एवं पालनार्थ|

(डेजी रानी जांगडे)
जिला शिक्षा अधिकारी एवं सदस्य सचिव, स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय समिति परसापाली, जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़(छ.ग.)

Scanned with CamScanner